न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 67 / 2019
निर्णय दिनांकः– 11.01.2021

उनवान

नूर मोहम्मद पुत्र नोशे खां जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
–प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) – प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री हरिराज सिंह वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः– आराजीयात खाता संख्या 152
यह कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 152 ख0न0 223 रकबा 0.86 है0 वाके पाटोली तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थी का नाम नूर मोहम्मद पुत्र नोशे खां है, जो प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड इत्यादि मे अंकित है। परन्तु राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम सहवन से मोहम्मद नूर खां पुत्र नोशे खां अंकित कर गया है।जबकि सही नाम नूर मोहम्मद पुत्र नोशे खां है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड मे गलत दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विक्रय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 152 ख0न0 223 रकबा 0.86 है0 वाके ग्राम पाटोली तहसील उनियारा मे प्रार्थी का नाम मोहम्मद नूर खां के स्थान पर नूर मोहम्मद पुत्र नोशे खां अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम पाटोली की वर्तमान जमाबन्दी 2071–2073 मे प्रार्थी का नाम मोहम्मद नूर खां पुत्र नोशे खां जाति मुसलमान सा0 देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थी का नाम जमाबन्दी मे प्रार्थी के पिता नोशे खां पुत्र कल्लू खां की विरासत से नामान्तरकरण संख्या 597 दिनांक 27.06.2014 के स्वीकार से दर्ज हुआ है। प्रार्थी के आधार कार्ड मे नूर मोहम्मद पुत्र नोशे खां ही दर्ज है । मोहम्मद नूर खां पुत्र नोशे खां के सीन पर नूर मोहम्मद पुत्र नोशे खां किया जाना उचित है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2073 खाता संख्या 152 ख0न0 223 रकबा 0.86 वाके ग्राम पाटोली मे मोहम्मद नूर खां पुत्र नोशे खां हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है।प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक पास बुक, मे प्रार्थी का नाम नूर मोहम्मद पुत्र नोशे खां दर्ज है। प्रार्थी का उक्त नाम जरिये विरासत दर्ज हुआ है। तहसीलदार उनियारा द्वारा राजस्व रेकार्ड मे नाम शुद्व किये जाने की अभिशंषा की गई है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 152 ख0न0 223 रकबा 0.86 है0 वाके ग्राम पाटोली तहसील उनियारा मे प्रार्थी का नाम मोहम्मद नूर खां के स्थान पर नूर मोहम्मद उर्फ मोहम्मद नूर खां पुत्र नोशे खां अंकित कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। वित्तिय संस्था या अन्य किसी भी प्रकार की संस्था का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था व व्यक्ति को सूचित करने के लिये प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

यह निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा